[2018] 14 एस. सी. आर 755

निपुन सैक्सेना और ए. एन. आर.

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2012 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 565)

11 दिसंबर, 2018

[मदन बी. लोकुर और दीपाक गुप्ता, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 - s.228A-यौन अपराधों के पीड़ित

-

उनकी पहचान की सुरक्षा-जारी किए गए निर्देश-आयोजित: कोई व्यक्ति नहीं।

पीड़ित का नाम छाप या प्रकाशित कर सकते हैं या किसी भी तथ्य का खुलासा कर सकते हैं

जिसके कारण पीड़ित की पहचान की जा सकती है और जिसे करना चाहिए

उसकी पहचान जो बड़े पैमाने पर जनता को ज्ञात है-संबंधित एफ. आई. आर. की प्रति महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के अपराध को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

लिखित रूप में दर्ज किया जाना और हित को ध्यान में रखते हुए पीड़ित प्राथमिकी की प्रति किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को देने की अनुमति देता है।

जिन अधिकारियों को नाम का खुलासा किया जाता है, उनका भी कर्तव्य है कि वे पीड़ित का नाम और पहचान गुप्त रखें और उसमें इसका खुलासा न करें।

रिपोर्ट को छोड़कर कोई भी तरीका जो केवल एक में भेजा जाना चाहिए

जाँच एजेंसी या अदालत को सीलबंद आवरण-जहाँ एक

पीड़ित एक अपील दायर करती है, इसे उसका नाम 'एक्स' दिखाकर दायर किया जा सकता है या

' Y 'के साथ नाम का खुलासा न करने के लिए आवेदन

पीड़ित-न्यायालय विवरणों को सत्यापित कर सकता है लेकिन सामग्री में जो है

सार्वजनिक डोमेन में पीड़ित के नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा-ऐसे मामलों में जहां पीड़ित मर चुका है या अस्वस्थ दिमाग का है।

पीड़ित का नाम या उसकी पहचान का खुलासा भी नहीं किया जाना चाहिए

रिश्तेदारों के प्राधिकरण के तहत, जब तक कि परिस्थितियाँ न हों

उसकी पहचान के प्रकटीकरण को उचित ठहराते हुए, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा-ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ अगला

पीड़ित की पहचान का खुलासा करने में रिश्तेदारों को उचित ठहराया जा सकता है-यदि ऐसी कोई भी आवश्यकता उत्पन्न होनी चाहिए, प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए एक आवेदन

पहचान केवल सत्र न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए। संबंधित जो कानून के आधार पर आवेदन का निर्णय करेगा

- हालाँकि, आज तक सरकार ने किसी भी सामाजिक या सामाजिक संगठन की पहचान नहीं की है। कल्याणकारी संस्थान जिन्हें उनके निकट संबंधियों को देना चाहिए

प्राधिकरण-यदि सरकार वास्तव में कार्य करना चाहती है यू / s.228A (2) (सी), इस तरह के सामाजिक कल्याण की पहचान करने से पहले यह आवश्यक है

संस्था या संगठन स्पष्ट रूप से इस संबंध में कुछ नियम या स्पष्ट मानदंड निर्धारित करते हैं-जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक जारी किए गए निर्देश प्रबल होंगे-भारत का संविधान Art.142 दंड संहिता

प्रक्रिया, 1973 - s.327 (2)।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012। 23 , 24 , 25 , 33 और 37-पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के अधीन बच्चे-अधिकार-आयोजित: किसी भी मीडिया में कोई भी रिपोर्ट बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं करेगी, जिसमें नाम, पता, तस्वीर, परिवार का विवरण, स्कूल, पड़ोस या कोई अन्य विवरण शामिल है, जिससे बच्चे की पहचान का खुलासा हो सकता है-पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित प्राथमिकी सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखी जाएगी-पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे की पहचान का खुलासा तब तक नहीं किया जाए जब तक कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए विशेष न्यायालय इस तरह के प्रकटीकरण की अनुमति नहीं देता है-यह प्रकटीकरण केवल तभी किया जा सकता है जब यह बच्चे के हित में हो और अन्यथा नहीं-कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा विजय बनाम में जारी निर्देश। पश्चिम बंगाल राज्य इस बात पर सहमत है-देश के सभी उच्च न्यायालयों की सभी किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष और सदस्य कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय और उसमें जारी किए गए निर्देशों का अध्ययन करें और प्रत्येक उच्च न्यायालय/राज्य की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसी तरह के निर्देश जारी करें-जारी किए गए निर्देश-निर्णय सभी उच्च न्यायालयों के महापंजीयक को भेजा जाए ताकि सभी उच्च न्यायालयों की किशोर न्याय समिति के अध्यक्षों के समक्ष उचित आदेश और निर्देश जारी किए जा सकें।

शब्द और वाक्यांश-"वह पदार्थ जो व्यक्ति की पहचान को ज्ञात कर सकता है"-जिसका अर्थ है: वाक्यांश "जो मायने रखता है

एस में व्यक्ति की पहचान ज्ञात कर सकते हैं। 228 ए, आई. पी. सी. का मतलब केवल यह नहीं है कि केवल पीड़ित के नाम का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि पीड़ित की पहचान मीडिया में प्रकाशित किसी भी मामले से स्पष्ट नहीं होनी चाहिए-दंड संहिता, 1860 - s.228A।

दंड संहिता, 1860 - s.228A (2) (सी)-यदि नाबालिगों पर लागू होता है-आयोजित: जहाँ पीड़ित नाबालिग है, s.228A (2) (c) अब लागू नहीं होगा

पॉक्सो के अधिनियमन के कारण जो विशेष रूप से नाबालिगों से संबंधित है-इस प्रकार, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए 'या नाबालिग' शब्दों को धाराओं की उप-धारा (2) के खंड (सी) से हटा दिया जाना चाहिए। 228 ए, आई. पी. सी.।

निपुन सैक्सेना और ए. एन. आर. वी. भारत और ओआरएस का संघ।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012। 23 (4) - अपराध के तहत-जब आकर्षित किया जाता है-आयोजितः मीडिया न केवल बच्चे की पहचान का खुलासा करने के लिए बाध्य है, बल्कि कानून द्वारा किसी भी ऐसी सामग्री का खुलासा नहीं करने के लिए अनिवार्य है जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। बच्चे की पहचान का खुलासा-इसका कोई भी उल्लंघन अपराध होगा। 2012 अधिनियम की धारा 23 (4)।

याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 आई. पी. सी. की धारा 228 ए की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति का नाम और पहचान बताता है।

व्यक्ति जो धाराओं के तहत आने वाले अपराध का कथित शिकार है 376 , 376 ए, 376 एबी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डीए, 376 डीबी या 376 ई एक आपराधिक अपराध करता है और एक अवधि के लिए दंडनीय होगा।

जो दो साल तक बढ़ सकता है। कोई भी व्यक्ति, जो न्यायालय की अनुमति के बिना, ऐसे अपराध के संबंध में न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के संबंध में किसी भी मामले को प्रकाशित करता है, अपराध करता है। स्पष्टीकरण में हालांकि यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मुद्रण या प्रकाशन आई. पी. सी. के अर्थ के भीतर कोई अपराध नहीं होगा। [पारस 9,10] [770-ए-सी]

1.2 न तो आई. पी. सी. और न ही सी. आर. पी. सी. ने 'पहचान' वाक्यांश को परिभाषित किया है।

किसी भी व्यक्ति से। आई. पी. सी. की धारा 228 ए स्पष्ट रूप से "नाम या किसी भी मामले को छापने या प्रकाशित करने से रोकती है जो व्यक्ति की पहचान को ज्ञात कर सकता है"। यह स्पष्ट है कि न केवल पीड़ित के नाम का प्रकाशन निषिद्ध है, बल्कि किसी अन्य मामले का खुलासा भी निषिद्ध है जिससे ऐसे पीड़ित की पहचान ज्ञात हो सकती है। वाक्यांश "मामला जो व्यक्ति की पहचान को ज्ञात कर सकता है" का केवल यह अर्थ नहीं है कि केवल पीड़ित के नाम का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका यह भी अर्थ है कि पीड़ित की पहचान किसी भी मामले [2018] 14 एस. सी. आर. से स्पष्ट नहीं होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सत्र न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायालय के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जा सकता है और उनके हितों को ध्यान में रखा जा सकता है। पीड़ित एफ. आई. आर. की प्रति किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को देने की अनुमति देता है। जिन अधिकारियों के नाम का खुलासा किया गया है, वे भी कर्तव्य हैं

पीड़ित का नाम और पहचान गुप्त रखने के लिए बाध्य है और रिपोर्ट को छोड़कर किसी भी तरह से इसका खुलासा नहीं करना चाहिए, जिसे केवल सीलबंद लिफाफे में जांच एजेंसी या अदालत को भेजा जाना चाहिए। इस संबंध में कोई कठोर और त्वरित नियम नहीं हो सकता है, लेकिन पुलिस को निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस पत्राचार या ज्ञापन का आदान-प्रदान या जारी किया गया है, जिसमें पीड़ित के नाम का खुलासा किया गया है, उसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और बड़े पैमाने पर जनता के सामने प्रकट नहीं किया जाए। उन्हें मीडिया के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी भी व्यक्ति को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस अधिकारियों को उन सभी दस्तावेजों को रखना चाहिए जिनमें पीड़ित का नाम सीलबंद लिफाफे में प्रकट किया गया है और इन दस्तावेजों को समान दस्तावेजों से बदलना चाहिए जिसमें पीड़ित का नाम सभी रिकॉर्डों में हटा दिया गया है।

बड़ी संख्या में लोगों द्वारा जांच की गई। सीलबंद लिफाफा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत दायर रिपोर्ट के साथ अदालत में दायर किया जा सकता है। जहां तक आई. पी. सी. की धारा 228 ए की उप-धारा (2) के खंड (बी) का संबंध है, यदि किसी वयस्क पीड़ित को अपना नाम प्रकाशित होने या पहचान प्रकट होने पर कोई आपत्ति नहीं है, तो वह स्पष्ट रूप से निपुन सक्सेना और ए. एन. आर. को अधिकृत कर सकती है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

कोई भी व्यक्ति जो लिखित रूप में उसका नाम बताए। यह एक होना चाहिए

पीड़ित का स्वैच्छिक और सचेत कार्य। [पारस 13,14] [771-बी-एच; 772-ए-सी] 1.4 जहां पीड़ित नाबालिग है, वहां धारा 228ए (2) (सी) अब पॉक्सो के अधिनियमन के कारण लागू नहीं होगी।

विशेष रूप से नाबालिगों के साथ। वास्तव में, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए 'या मामूली' शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए। आई. पी. सी. की धारा 228ए की उप-धारा (2) का खंड (सी)। [पैरा 15] [772-डी]

2.1 आज तक न तो केंद्र सरकार और न ही किसी राज्य सरकार ने ऐसे किसी समाज कल्याण संस्थान को मान्यता दी है

या ऐसे संगठन जिन्हें रिश्तेदारों को प्राधिकरण देना चाहिए। अस्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति उतना ही देश का नागरिक होता है जितना कि एक समझदार व्यक्ति। अस्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति जो इस तरह के जघन्य यौन अपराध का शिकार भी होता है, वह एक ऐसे आघात से पीड़ित होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जनमत और भावनाओं को जगाने के लिए पीड़ित की पहचान का खुलासा करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। यह जघन्य यौन अपराधों के पीड़ितों से निपटने वाला एक गंभीर मुद्दा है और इससे संवेदनशीलता के साथ निपटने की आवश्यकता है। यदि पीड़ित के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई अभियान शुरू करना है और जनमत जुटाना है तो उसकी पहचान का खुलासा किए बिना ऐसा किया जा सकता है। [पारस 16,17] [772-एफ-जी; 773-बी-सी]

2.2 पीड़ित का नाम या उसकी पहचान का खुलासा रिश्तेदारों के प्राधिकरण के तहत भी नहीं किया जाना चाहिए।

सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना। कुछ मामलों में, रिश्तेदारों का हित पीड़ित के हित के समान नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक नहीं हो सकता है

नातेदार, लेकिन बच्चे का "अगला दोस्त", जो इस तरह के आवेदन को स्थानांतरित करने का हकदार हो सकता है। यह अदालत या सक्षम प्राधिकारी को तय करना होगा कि "अगला मित्र" कौन है।

[पारस 18,19] [773-ई-जी]

2.3 ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पीड़ित की पहचान, यदि उसका नाम नहीं है, तो उसका खुलासा करना पड़ सकता है। मामले हो सकते हैं

जहाँ एक पीड़ित का मृत शरीर पाया जाता है। यह स्थापित किया गया है कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था। पीड़ित की पहचान करना संभव नहीं हो सकता है। फिर, जाहिर है कि उनकी तस्वीर को मीडिया में प्रकाशित करना होगा। यहाँ भी, यह निर्देश दिया गया है कि हालांकि ऐसा किया जा सकता है, यह तथ्य कि ऐसे पीड़ित को [2018] 14 एस. सी. आर. के अधीन किया गया है।

यौन अपराध का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि अन्य

ऐसी स्थितियाँ जहाँ पीड़ित की पहचान का खुलासा करने में रिश्तेदारों को उचित ठहराया जा सकता है। यदि ऐसी कोई आवश्यकता उत्पन्न होनी चाहिए, तो यह निर्देश दिया जाता है कि पहचान के प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए एक आवेदन

इसे केवल संबंधित सत्र न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए और उक्त सत्र न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट इसका निर्णय करेंगे। निर्धारित कानून के आधार पर आवेदन। शक्ति का प्रयोग किया जाता है।

इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत क्योंकि सरकार ने किसी सामाजिक या कल्याणकारी संस्थान/संगठन की पहचान नहीं की है और निर्धारित कानून को प्रशासित नहीं किया जा सकता है। यदि सरकार वास्तव में आई. पी. सी. की धारा 228ए (2) (सी) के तहत कार्य करना चाहती है, तो उसे ऐसे समाज कल्याण संस्थान या संगठन की पहचान करने से पहले इस संबंध में कुछ नियम या स्पष्ट मानदंड स्पष्ट रूप से निर्धारित करने चाहिए। संगठन की प्रकृति क्या होनी चाहिए? आवेदन कैसे किया जाना चाहिए? उस आवेदन से किस तरह निपटा जाना चाहिए? एक स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक जारी किए गए निर्देश प्रभावी रहेंगे। [पैरा 21]

[774 - बी-ई]

3.1 जहाँ तक आई. पी. सी. की धारा 228ए की उप-धारा (3) का संबंध है, आई. पी. सी. स्पष्ट रूप से बताती है कि कोई भी छाप या छाप नहीं सकता है।

इसके अंतर्गत आने वाली किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी भी मामले को प्रकाशित करें

धारा 228क के दायरे में और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 (2) के संदर्भ में। ये कैमरे की कार्यवाही में हैं और पीठासीन अधिकारी, अदालत के कर्मचारी, आरोपी, उसके वकील, लोक अभियोजक, पीड़ित के अलावा कोई नहीं, अगर वह उपस्थित होना चाहती है या गवाह वहां होगा। यह सुनिश्चित करना उन सभी का परम कर्तव्य है कि अदालत में जो कुछ होता है उसका खुलासा बाहर न हो। इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे मामलों की कोई रिपोर्टिंग नहीं हो सकती है। प्रेस रिपोर्ट कर सकता है कि मामला अदालत के समक्ष तय किया गया था और कुछ गवाहों से पूछताछ की गई थी। यह किस उद्देश्य के लिए रिपोर्ट कर सकता है मामला सूचीबद्ध था लेकिन यह रिपोर्ट नहीं कर सकता कि अदालत के अंदर क्या हुआ या पीड़ित या गवाहों का बयान क्या था। साक्षय का खुलासा नहीं किया जा सकता है। [पैरा 22] [774-एफ-एच; 775-ए]

3.2 रोकथाम के सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए

पीड़ितों का बहिष्कार, यह उचित होगा कि सभी न्यायालयों के निर्णयों में अर्थात विचारण न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में पीड़ित का नाम नहीं बताया जाना चाहिए। [पैरा 25] [777-ई] निपुन सैक्सेना और ए. एन. आर.

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

3.3 जहाँ कोई पीड़ित अपील दायर करती है, वहाँ यह निर्देश दिया जाता है कि ऐसी पीड़ित पीड़ित के नाम का खुलासा न करने के लिए आवेदन के साथ अपना नाम 'एक्स' या 'वाई' दिखाकर ऐसी अपील दायर कर सकती है। अपील के साथ दायर किए जाने वाले सीलबंद लिफाफे में वह दस्तावेज़ संलग्न कर सकती है, जिसमें वह अपीलीय न्यायालय के नियमों के अनुसार अपनी पहचान प्रकट कर सकती है। न्यायालय विवरणों को सत्यापित कर सकता है लेकिन सार्वजनिक डोमेन में रखी गई सामग्री में पीड़ित के नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा। इस तरह के आवेदन की सुनवाई न्यायालय द्वारा कक्षों में की जानी चाहिए और जब तक इस तरह का मामला तय नहीं हो जाता, तब तक कारण-सूची में भी नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। पीड़ित के नाम और पहचान का खुलासा करने वाले कोई भी दस्तावेज

4.1 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे की पहचान का खुलासा तब तक न किया जाए जब तक कि विशेष न्यायालय लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से इस तरह के प्रकटीकरण की अनुमति न दे। यह खुलासा केवल तभी किया जा सकता है जब यह बच्चे के हित में हो और अन्यथा नहीं। बच्चे को विरोध का प्रतीक बनाने के लिए बच्चे के नाम का खुलासा आमतौर पर बच्चे के हित में नहीं माना जा सकता है। धारा 23 की उप-धारा (1) किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को प्रतिबंधित करती है। व्यक्ति को कोई भी रिपोर्ट दर्ज करने या किसी भी रूप में किसी भी बच्चे पर कोई टिप्पणी करने से, चाहे वह पूरी और प्रामाणिक जानकारी के बिना लिखित, फोटोग्राफिक या ग्राफिक हो। कोई भी व्यक्ति या मीडिया ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है जिसका बच्चे की प्रतिष्ठा को कम करने या बच्चे की गोपनीयता का उल्लंघन करने का प्रभाव हो। धारा 23 की उप-धारा (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी मीडिया में कोई भी रिपोर्ट किसी बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं करेगी।

नाम, पता, फोटो, परिवार का विवरण, स्कूल, पड़ोस या कोई अन्य विवरण जिससे बच्चे की पहचान का खुलासा हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विधायिका का इरादा था कि बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। वाक्यांश 'किसी भी अन्य विवरण' को सबसे व्यापक आयाम देना होगा और इसे केवल सामान्य रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है। विधायिका का इरादा यह है कि बच्चे की निजता और प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचे। इसलिए, कोई भी जानकारी जो बच्चे की पहचान का खुलासा कर सकती है, मीडिया द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती है। मीडिया को सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए

सावधानी बरतें लेकिन [2018] 14 एस. सी. आर. सुनिश्चित करने का कर्तव्य मीडिया पर डाल दिया गया है।

कि यह कुछ भी नहीं करता है और ऐसी कोई जानकारी नहीं देता है जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे की पहचान का खुलासा हो सके। [पैरा 30,31] [780-ई-जी; 781-जी-एच; 782-ए-सी]

4.2 इसमें कोई संदेह नहीं है कि मीडिया का कर्तव्य है कि वह हर मामले की रिपोर्ट करे

अपराध जो किया गया हो। मीडिया बच्चों के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराधों के मामले में पीड़ित के नाम और पहचान का खुलासा किए बिना ऐसा कर सकता है। मीडिया के पास न केवल अधिकार है बल्कि ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट करने का दायित्व भी है। हालांकि, मीडिया को सावधान रहना चाहिए कि इसे सनसनीखेज न बनाया जाए। मीडिया न केवल बच्चे की पहचान का खुलासा करने के लिए बाध्य है, बल्कि कानून द्वारा

4.3 पीड़ितों के लिए समर्थन जुटाने के लिए पहचान प्रकट करने के संबंध में ऊपर दिया गया वही तर्क मृत पीड़ितों पर भी लागू होगा। यहाँ तक कि मृतकों की भी अपनी गरिमा होती है। उन्हें केवल इसलिए गरिमा से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे मर चुके हैं। [पैरा 34] [783-बी-सी]

4.4 बिजॉय बनाम के मामले में। पश्चिम बंगाल राज्य कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पॉक्सो के प्रावधानों पर विचार करते समय कारणों को निर्धारित करते हुए विस्तृत निर्णय दिया है और कहा है कि न तो जांच के दौरान और न ही मुकदमे के दौरान पीड़ित के नाम का खुलासा किया जाना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य निर्देश भी दिए हैं कि कानून के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाए और पीड़ित बच्चे के मौलिक अधिकारों और अन्य बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा की जाए। इन सभी निर्देशों से सहमत हैं। देश के सभी उच्च न्यायालयों की सभी किशोर न्याय समिति के सभी अध्यक्षों और सदस्यों से अनुरोध है कि वे कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले और उसमें जारी निर्देशों को देखें और वे प्रत्येक उच्च न्यायालय/राज्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसी तरह के निर्देश जारी कर सकते हैं। [पैरा 38] [784-डी-जी]

4.5 पॉक्सो बच्चों के अनुकूल अदालतों की स्थापना को अनिवार्य करता है।

अदालत में प्रवेश करने वाला कोई भी वादी अदालत के माहौल से भयभीत महसूस करता है। बच्चे और महिलाएं, विशेष रूप से जो यौन उत्पीड़न का शिकार हुए हैं, वे वस्तुतः हैं

अदालतों में माहौल से अभिभूत।

इसलिए यह निपुन सेक्सेना और ए. एन. आर. है। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

यह आवश्यक है कि ऐसी अदालतें हों जो बच्चों के अनुकूल हों। धारा 33 (4) पॉक्सो विशेष न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का आदेश देती है कि न्यायालय में बच्चों के अनुकूल वातावरण हो। धारा 36 में कहा गया है कि बच्चे को गवाही देते समय आरोपी को नहीं देखना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बच्चा अपराध के कथित अपराधी को देखकर डर न जाए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, परीक्षण कैमरे में किए जाने हैं। इन अदालतों का उपयोग न केवल पॉक्सो के तहत मामलों की सुनवाई के लिए किया जाना चाहिए, बल्कि महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वास्तव में, यह बच्चों और महिलाओं के हित में और न्याय के हित में होगा यदि देश के सभी जिलों में जल्द से जल्द वन स्टॉप सेंटर भी स्थापित किए जाएं। इन वन स्टॉप केंद्रों का उपयोग केंद्रीय पुलिस स्टेशन के रूप में किया जा सकता है जहां शहर/शहर में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ सभी अपराध दर्ज किए जाते हैं। उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए था। यौन शोषण से गुजरने वाले बच्चों और महिलाओं की जरूरतों के प्रति संवेदनशील कर्मचारी। ऐसा ही एक केंद्र जो पहले ही स्थापित किया जा चुका है, वह है हैदराबाद में "भारोसा"। यह हो सकता है

देश में अन्य वन स्टॉप केंद्रों के लिए एक मॉडल के रूप में उपयोग किया जाता है।

[पारस 39-42] [785-A-F; 786-B]

4.7 निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:

1. कोई भी व्यक्ति पीड़ित का नाम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया आदि में या दूरस्थ तरीके से भी छाप या प्रकाशित नहीं कर सकता है। ऐसे किसी भी तथ्य का खुलासा करें जिससे पीड़ित की पहचान हो सके और जिससे उसकी पहचान बड़े पैमाने पर जनता को पता चले।

2. जिन मामलों में पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है या वह अस्वस्थ है, वहां पीड़ित का नाम या उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

उसकी पहचान के प्रकटीकरण को उचित ठहराने वाली परिस्थितियाँ मौजूद हैं, जिनका निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो वर्तमान में सत्र न्यायाधीश है। 3. आईपीसी की धारा 376,376 ए, 376 एबी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डीए, 376 डीबी या 376 ई के तहत अपराधों से संबंधित प्राथमिकी और

पॉक्सो के तहत अपराधों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

4. यदि कोई पीड़ित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के तहत अपील दायर करता है, तो पीड़ित के लिए अपनी पहचान का खुलासा करना आवश्यक नहीं है और अपील पर कानून द्वारा निर्धारित तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

5. पुलिस अधिकारियों को उन सभी दस्तावेजों को, जिनमें पीड़ित के नाम का खुलासा किया गया है, जहां तक संभव हो, एक सीलबंद लिफाफे में रखना चाहिए और इन दस्तावेजों को समान दस्तावेजों से बदलना चाहिए।

जिसे पीड़ित का नाम उन सभी अभिलेखों में हटा दिया जाता है जिनकी सार्वजनिक रूप से जांच की जा सकती है।

7. आई. पी. सी. की धारा 228ए (2) (सी) के तहत मृत पीड़ित या अस्वस्थ दिमाग की पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए रिश्तेदारों द्वारा आवेदन केवल संबंधित सत्र न्यायाधीश को किया जाना चाहिए जब तक कि सरकार धारा के तहत कार्रवाई नहीं करती है। 228ए (2) (सी) और ऐसे समाज कल्याण संस्थानों की पहचान करने के लिए इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार एक मानदंड निर्धारित करता है या

संगठन।

8. पॉक्सो के तहत नाबालिग पीड़ितों के मामले में, उनकी पहचान के प्रकटीकरण की अनुमति केवल विशेष अदालत द्वारा दी जा सकती है, अगर ऐसा प्रकटीकरण बच्चे के हित में हो।

9. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से स्थापना करने का अनुरोध किया जाता है

आज से एक वर्ष के भीतर प्रत्येक जिले में कम से कम एक 'वन स्टॉप सेंटर'। [पैरा 43] [786-सी-एच; 787-ए-डी]

बिजोय बनाम. पश्चिम बंगाल राज्य 2017 CRILJ 3893 -

मंजूरी दे दी गई।

पंजाब राज्य बनाम। गुरमीत सिंह (1996) 2 एससीसी 384: [1996] 1 एससीआर 532; भूपिंदर शर्मा बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य (2003) 8 एससीसी 551: [2003] 4 पूरक।

एस. सी. आर. 792-निर्भर।

निवेदिता झा बनाम। 2018 का बिहार राज्य एसएलपी (सी) संख्या 24978; अजू वर्गीज बनाम। केरल राज्य ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा सीआरएल में 27.09.2018 पर निर्णय लिया। 2017 का एमसी No.5247; सुभाष चंद्र राय बनाम। सिक्किम राज्य 2018 सी. आर. आई. एल. जे. 3146-संदर्भित।

निपुन सैक्सेना और ए. एन. आर. वी. भारत और ओआरएस का संघ।

मामला कानून संदर्भ

[1996] 1 एससीआर 532

उस पर भरोसा करें

पैरा

5

उस पर भरोसा करें

[2003] 4 पूरक। एससीआर 792

पैरा

25

2018 CRILJ 3146

पैरा

37

संदर्भित किया गया है

2017 CRILJ 3893

पैरा

38

मंजूरी मिल गई।

नागरिक/आपराधिक मूल न्यायनिर्णय: लेखन याचिका

(सिविल) 2012 की सं. 565।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

2013 की लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या 1

लिखित याचिका (सिविल) सं। 22 और 2013 का 148 2012 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 568

एसएलपी (सी. आर. एल.)। 2014 का सी. आर. एल. एम. पी. सं. 16041।

ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., विकास महाजन, ए. ए. जी, आलोक अग्रवाल,

सदस्य सचिव (नालसा), सुश्री इंदिरा जयसिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। (ए. सी.), ए. के. पांडा, सीनियर एड. , सुश्री अजीता शर्मा, सुश्री आंचल सिंह, पी. एस. त्रिपाठी, रवि चंद्र प्रकाश, मुकेश कुमार सिंह, सुश्री भानु प्रिया शर्मा, मोहित कौशिक, सुश्री वाणी व्यास, अमित, डॉ. गजेंद्र प्रसाद सिंह, प्रशांत चौधरी, आर. पी. गुप्ता, ई. सी. अग्रवाल, अर्धेन्डमौली कुमार प्रसाद, सुश्री तरुणा अर्धेन्डमौली प्रसाद, नमित सक्सेना,

अमृतेश राज, पीयूष सिंह, नीतेश रंजन, वैभव श्रीवास्तव, शशांक सक्सेना, सुश्री भक्ति पसरीजा सेठी, एम. पी. गुप्ता, सुश्री सौदामिनी शर्मा, बी. वी. बलराम दास, शैलेंद्र सैनी, सुश्री सुनीता शर्मा, राज बहादुर यादव, श्रीमती अनिल कटियार, जी. एस. मक्कर, एस. वसीम ए कादरी, जुबैर अहमद खान, तमीम कादरी, जैद अली सुबज्पोश, सईद कादरी, सुश्री अनीता शेनॉय, सुश्री दीक्षा राय, पलक महाजन, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, अनिल श्रीवास्तव, ऋतुराज बिस्वास, सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव।

संजय कुमार विसेन, विनोद शर्मा, तपेश कुमार सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, एम. शोएब आलम, उज्जवल सिंह, मोजाहिद करीम खान,

वी. एन. रघुपति, लगनेश मिश्रा, परीक्षित पी. अंगड़ी, सी. के. सासी, [2018] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नयनतारा रॉय, सनी चौधरी, अभिलाष अत्री, सुश्री दीपा एम. कुलकर्णी, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, लीशांगथेम रोशनी, सुश्री मैबाम बबीना, सुश्री अनुपमा नगंगोम, रंजन

मुखर्जी, के. वी. खार्लिंगदोह, डेनियल स्टोन लिंगदोह, टी. जी. नारायणन नायर, सुश्री के. एनाटोली सेमा, अमित कुमार सिंह, सूर्य प्रसाद मिश्रा, शिबाशीष मिश्रा, चंदन कुमार मंडल, आशीष कुमार सिन्हा, करण भारिहोके, कौशल नारायण मिश्रा, सुश्री नवकिरण बोले, नलिन कोहली, अंकित रॉय, मिलिंद कुमार, सुश्री अरुणा माथुर, अवनीश अर्पुथम, सुश्री अनुराधा अर्पुथम, सुश्री गीतांजलि (मेसर्स अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी के लिए), एम. नागेश कन्ना, सुश्री सुजाता बागी, एस. पार्थ सारथी।

राजेश्वरन, एस. उदय कुमार सागर, मृत्युंजय सिंह, शुवोदीप रॉय, ऋतुराज विश्वास, सुश्री गरिमा प्रसाद, सुश्री पूनम आनंद, सुश्री रचना श्रीवास्तव, सुश्री मोनिका, अविरल सक्सेना, सुहान मुखर्जी, सुश्री आस्था शर्मा, अमित वर्मा, अभिषेक मनचंदा, सुश्री काजल दलाल, सुश्री डिंपल नागपाल (पीएलआर चैंबर्स एंड कंपनी के लिए), केवी जगदीशश्वरन, श्रीमती जी. इंदिरा, मृणाल के. मंडल, सुश्री कामाक्षी एस. मेहलवाल, सनवीर मेहलवाल, राजू सोनकर, चिराग एम. श्रॉफ, वी. जी. प्रगसम, प्रभु रामसुब्रमण्यन, एस. मनुराज, सुश्री अदिति गुप्ता, सत्य मित्रा, टी. एन. रामा रॉय, हितेश कुमार शर्मा, टी. वीरा रेड्डी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

निपुण सक्सेना, याचिकाकर्ता-व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपाक गुप्ता, जे।

1. बलात्कार के शिकार वयस्क पीड़ितों और यौन शोषण के शिकार बच्चों की पहचान कैसे और किस तरह से संरक्षित की जानी चाहिए ताकि वे अनावश्यक उपहास, सामाजिक बहिष्कार और उत्पीड़न के अधीन न हों, इन मामलों में उत्पन्न होने वाले मुद्दों में से एक है।

2. हम इस निर्णय को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहला भाग भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार के अपराध की पीड़ितों से संबंधित है।

संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') और दूसरा भाग उन पीड़ितों से संबंधित है जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में 'पॉक्सो') के तहत अपराधों के अधीन हैं।
3. इस फैसले में "मीडिया" के किसी भी संदर्भ में प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया आदि सहित सभी प्रकार के मीडिया शामिल होंगे।

निपुन सैक्सेना और ए. एन. आर. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [दीपाक गुप्ता, जे।]

पहला भाग

4. दुर्भाग्य से, हमारे समाज में, यौन अपराध की पीड़ित, विशेष रूप से बलात्कार की पीड़ित, के साथ अपराध के अपराधी से भी बदतर व्यवहार किया जाता है।

5. यदि पीड़ित पुलिस द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों और आक्षेपों से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत है, तो उसे आम तौर पर अदालत में भी ज्यादा मदद नहीं मिलती है। अदालत में पीड़ित की कड़ी जिरह की जाती है जिसमें पीड़ित की नैतिकता और चरित्र के बारे में बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। पीठासीन न्यायाधीश कभी-कभी मूक दर्शकों की तरह बैठते हैं और आम तौर पर बचाव पक्ष को इस तरह के अपमानजनक और अनावश्यक सवाल पूछने से नहीं रोकते हैं। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से रक्षा के अधिकार में कटौती नहीं करना चाहते हैं। अभियोजक की प्रतिपरीक्षा करें, लेकिन यह एक निश्चित स्तर की शालीनता और बड़े पैमाने पर महिलाओं के प्रति सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। समय के साथ, अदालतों को संवेदनशील बनाने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं, लेकिन अनुभव है

यह दर्शाता है कि प्रारंभिक चेतावनियों के बावजूद, पहली बार 1996 में, अदालतें आज भी पीड़ित की पहचान प्रकट करती हैं।

6. आई. पी. सी. में धारा 228ए को 1983 के संशोधन अधिनियम संख्या 43 के माध्यम से 25.12.1983 से लागू किया गया था और यह निम्नानुसार है:

" 228ए. कुछ अपराधों के पीड़ित की पहचान का प्रकटीकरण आदि।

(1) जो कोई भी नाम या किसी ऐसे मामले को छापता या प्रकाशित करता है जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान ज्ञात हो सकती है जिसके खिलाफ

1 पंजाब राज्य बनाम। गुरमीत सिंह (1996) 2 एस. सी. सी. 384 [2018] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 376, धारा 376 ए, धारा 376 एबी, धारा 376 बी, धारा 376 सी, धारा 376 डी, धारा 376 डीए, धारा 376 डीबी या धारा 376 ई के तहत अपराध किया गया है या पाया गया है। (इसके बाद इस धारा में पीड़ित के रूप में संदर्भित) को किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो

इसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

(2) उप-धारा (1) में कुछ भी नाम के किसी भी मुद्रण या प्रकाशन या किसी ऐसे मामले पर लागू नहीं है जो नाम की पहचान को ज्ञात कर सके।

पीड़ित यदि ऐसा मुद्रण या प्रकाशन है

(क) पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या ऐसे उद्देश्यों के लिए सद्भावना से कार्य करते हुए ऐसे अपराध की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के लिखित आदेश द्वारा या उसके तहत

जाँच; या

((ख) पीड़ित द्वारा या उसके लिखित प्राधिकरण द्वारा; या

(ग) जहाँ पीड़ित मृत या नाबालिग है या अस्वस्थ दिमाग का है, उसके अगले रिश्तेदार द्वारा या लिखित रूप में प्राधिकरण के साथ।

पीड़ित व्यक्तिः

बशर्ते कि ऐसा कोई प्राधिकरण किसी भी मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्थान या संगठन के अध्यक्ष या सचिव के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, निकट संबंधियों द्वारा नहीं दिया जाएगा। स्पष्टीकरण। - इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्था या संगठन" का अर्थ है एक सामाजिक कल्याण।

केंद्र या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यता प्राप्त संस्था या संगठन। (3) जो कोई ऐसे न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में किसी मामले को छापता या प्रकाशित करता है, उसे दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दो साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण। - किसी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ के भीतर अपराध नहीं है। निपुन सैक्सेना और ए. एन. आर.

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [दीपाक गुप्ता, जे।]

7. हम दंड संहिता की धारा 327 का भी उल्लेख कर सकते हैं।

एडचोर, 1973 (संक्षेप में 'सी. आर. पी. सी.') जो यह प्रावधान करता है कि न्यायालयों को

आम तौर पर जनता को न्यायालयों तक पहुंच होनी चाहिए। उप.

धारा 327 की धारा (2) को 1983 के उसी संशोधन अधिनियम 3 द्वारा जोड़ा गया था। धारा 327, जैसा कि संशोधित किया गया है, इस प्रकार है:

" धारा 327। कोर्ट खुला रहेगा। (1) जिस स्थान पर कोई आपराधिक न्यायालय किसी अपराध की जांच या मुकदमा चलाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, उसे एक खुला न्यायालय माना जाएगा, जिसमें आम तौर पर जनता की पहुंच हो सकती है, जहां तक वे आसानी से उन्हें समाहित कर सकते हैं:

बशर्ते कि पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, यदि वह सोचता है,

किसी विशेष मामले में किसी भी जांच या मुकदमे के किसी भी चरण में आदेश, कि आम तौर पर जनता, या किसी विशेष व्यक्ति को, उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कमरे या भवन तक पहुंच, या उसमें रहने या रहने का अधिकार नहीं होगा।

अदालत।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376 ए, धारा 376 ए. बी, धारा 376 बी, धारा 376 सी, धारा 376 डी, धारा 376 डी. ए, धारा 376 डी. बी या धारा 376 ई के तहत बलात्कार या अपराध की जांच और मुकदमा।

दंड संहिता (1860 का 45) कैमरे में संचालित की जाएगी:

बशर्ते कि पीठासीन न्यायाधीश, यदि वह उचित समझता है, या किसी भी पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी विशेष व्यक्ति को अनुमति दे सकता है।

द्वारा उपयोग किए जाने वाले कमरे या इमारत तक पहुँच प्राप्त करना, या उसमें रहना या रहना

न्यायालय:

बशर्ते कि कैमरा परीक्षण जहां तक किया जाए

महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा व्यवहार्य।

(3) जहां कोई कार्यवाही उप-धारा (2) के तहत आयोजित की जाती है, वह

किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी मामले को छापना या प्रकाशित करना वैध नहीं होगा।

पूर्ववर्ती कार्यवाहियों को छोड़कर ऐसी किसी कार्यवाहियों के संबंध में न्यायालय की अनुमतिः

बशर्ते कि परीक्षण कार्यवाही के मुद्रण या प्रकाशन पर प्रतिबंध

बलात्कार के अपराध के संबंध में हटाया जा सकता है, बशर्ते कि

पक्षों के नाम और पते की गोपनीयता। 99

8. 1983 के संशोधन अधिनियम के अनुसार बलात्कार, सामूहिक बलात्कार आदि के मामले।

खुले न्यायालय में विचारण किए जाने वाले मामलों की श्रेणी से बाहर रखा गया। 2013 के संशोधन अधिनियम के तहत इसी तरह के अन्य अपराधों को शामिल किया गया था।

8] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. धारा 228 ए की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो

किसी ऐसे व्यक्ति का नाम और पहचान जो धारा 376,376 ए, 376 एबी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डीए, 376 डीबी या 376 ई के तहत आने वाले अपराध का कथित शिकार है, एक आपराधिक अपराध करता है और दो साल तक की अवधि के लिए दंडनीय होगा।

10. हालाँकि, आई. पी. सी. की धारा 228 ए की उप-धारा (2) के तहत जो अनुमति दी गई है, वह है पीड़ित की पहचान को छापना या बताना।

उसमें वर्णित कुछ परिस्थितियों में प्रकाशन। कोई भी व्यक्ति, जो न्यायालय की अनुमति के बिना, ऐसे अपराध के संबंध में न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के संबंध में किसी भी मामले को प्रकाशित करता है, अपराध करता है। स्पष्टीकरण में हालांकि यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मुद्रण या प्रकाशन आई. पी. सी. के अर्थ के भीतर कोई अपराध नहीं होगा।

11. न तो आई. पी. सी. और न ही सी. आर. पी. सी. ने 'पहचान की पहचान' वाक्यांश को परिभाषित किया है।

"किसी भी व्यक्ति" "" आई. पी. सी. की धारा 228 ए स्पष्ट रूप से "नाम या किसी भी मामले को छापने या प्रकाशित करने से रोकती है जो व्यक्ति की पहचान को ज्ञात कर सकता है"। यह स्पष्ट है कि न केवल पीड़ित के नाम का प्रकाशन निषिद्ध है, बल्कि किसी अन्य मामले का खुलासा भी निषिद्ध है जिससे ऐसे पीड़ित की पहचान ज्ञात हो सकती है। हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि वाक्यांश "पदार्थ जो व्यक्ति की पहचान को ज्ञात कर सकता है" का केवल यह अर्थ नहीं है कि केवल पीड़ित का नाम नहीं होना चाहिए।

खुलासा किया गया लेकिन इसका मतलब यह भी है कि पीड़ित की पहचान मीडिया में प्रकाशित किसी भी मामले से स्पष्ट नहीं होनी चाहिए। कानून निर्माताओं का इरादा था कि इस तरह के अपराधों के पीड़ितों की पहचान नहीं की जानी चाहिए ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी शत्रुतापूर्ण भेदभाव या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

12. बलात्कार की शिकार व्यक्ति को समाज में शत्रुतापूर्ण भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे पीड़ित को नौकरी पाने में कठिनाई होगी, शादी करने में कठिनाई होगी और एक सामान्य इंसान की तरह समाज में एकीकृत होने में भी कठिनाई होगी। हमारा आपराधिक न्यायशास्त्र करता है

पर्याप्त गवाह सुरक्षा कार्यक्रम का प्रावधान नहीं है और इसलिए, पीड़ित की रक्षा करने और उसकी पहचान छिपाने की आवश्यकता बहुत अधिक है। इस संबंध में, हम कुछ तरीकों और साधनों का संदर्भ दे

सकते हैं जहां पीड़ित का नाम लिए बिना पहचान का खुलासा किया जाता है। एक मामले में, जो हाल ही में सुर्खियों में आया था, हालांकि पीड़ित का नाम नहीं दिया गया था, यह कहा गया था कि उसने राज्य बोर्ड परीक्षा में टॉप किया था और राज्य का नाम दिया गया था। उसकी पहचान का पता लगाने और स्थापित करने के लिए रॉकेट विज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी। एक अन्य उदाहरण में, फुटेज निपुन सैक्सेना और ए. एन. आर. है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [दीपाक गुप्ता, जे।]

पीड़ित को मांगी गई जानकारी से जोड़ना। हम यह स्पष्ट करते हैं कि जिन अधिकारियों को ऐसे नमूने भेजे जाने पर नाम का खुलासा किया जाता है, पीड़ित का नाम और पहचान गुप्त रखने के लिए भी कर्तव्यबद्ध हैं और रिपोर्ट को छोड़कर किसी भी तरह से इसका खुलासा नहीं करते हैं जिसे केवल सीलबंद लिफाफे में जांच एजेंसी या अदालत को भेजा जाना चाहिए। इस संबंध में कोई कठोर और त्वरित नियम नहीं हो सकता है, लेकिन पुलिस को निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस पत्राचार या ज्ञापन का आदान-प्रदान या जारी किया गया है, जिसमें पीड़ित के नाम का खुलासा किया गया है, उसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और बड़े पैमाने पर जनता के सामने प्रकट नहीं किया जाए। उन्हें मीडिया के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी भी व्यक्ति को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। हम निर्देश देते हैं कि पुलिस अधिकारियों को [2018] 14 एस. सी. आर. रखना चाहिए।

वे सभी दस्तावेज जिनमें पीड़ित का नाम सीलबंद लिफाफे में प्रकट किया जाता है और इन दस्तावेजों को समान दस्तावेजों से प्रतिस्थापित करते हैं जिसमें

पीड़ित का नाम सभी अभिलेखों में हटा दिया जाता है जिसकी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा जांच की जा सकती है। सीलबंद लिफाफा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत दायर रिपोर्ट के साथ अदालत में दायर किया जा सकता है।

14. जहाँ तक आई. पी. सी. की धारा 228ए की उप-धारा (2) के खंड (बी) का संबंध है, यदि किसी वयस्क पीड़ित को अपना नाम प्रकाशित करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

या पहचान का खुलासा किया जा रहा है, वह स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकती है

उसके नाम का खुलासा करने के लिए लिखना। यह पीड़ित का स्वैच्छिक और सचेत कार्य होना चाहिए। कुछ ऐसे पीड़ित हैं जो काफी मजबूत हैं और अपने नामों का खुलासा होने के बाद भी समाज का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनमें से कुछ, वास्तव में, बलात्कार की अन्य पीड़ितों की मदद करते हैं और वे अन्य बलात्कार पीड़ितों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। जब तक पीड़ित नाबालिग है, तब तक किसी को भी पीड़ित के नाम का खुलासा करने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

15. आई. पी. सी. की धारा 228ए की उप-धारा (2) के खंड (सी) पर आते हुए, हमारी राय है कि जहां पीड़ित नाबालिग है, वहां धारा 228ए लागू होगी।

पॉक्सो के अधिनियमन के कारण अब लागू नहीं होता है जो विशेष रूप से नाबालिगों से संबंधित है। वास्तव में, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए 'या नाबालिग' शब्दों को आई. पी. सी. की धारा 228ए की उप धारा (2) के खंड (सी) से हटा दिया जाना चाहिए।

16. परेशान करने वाला मुद्दा जो हमें परेशान करता है, वह पीड़ित के निकट संबंधियों द्वारा अध्यक्ष या अध्यक्ष को अधिकार देने के संबंध में है। नाम घोषित करने के लिए मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्थानों या संगठनों के सचिव। आज तक हमारे सामने रखी गई सामग्री के अनुसार न तो

केंद्र सरकार और न ही किसी राज्य सरकार ने ऐसे किसी भी समाज कल्याण संस्थान या संगठन को मान्यता दी है, जिन्हें रिश्तेदारों को प्राधिकरण देना चाहिए। 17. इस तकनीकी पहलू से निपटने से पहले कि किसे प्राधिकरण दिया जाना है, हम महसूस करते हैं कि पीड़ित के परिजन के अधिकार के संबंध में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अस्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति उतना ही देश का नागरिक होता है जितना कि एक समझदार व्यक्ति। अस्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति जो इस तरह के जघन्य यौन संबंध का शिकार भी होता है

अपराध को एक आघात का सामना करना पड़ता है जो अकल्पनीय है। विचार के लिए मुद्दा यह है कि किन परिस्थितियों में रिश्तेदारों को पीड़ित के नाम और पहचान को अधिकृत करने की अनुमति दी जानी

चाहिए? हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया था कि कुछ मामलों में पीड़ित के नाम का खुलासा या प्रकाशन की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह निपुन सक्सेना और ए. एन. आर. का नाम और चेहरा है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [दीपाक गुप्ता, जे।]

पीड़ित तब इस तरह के अन्य यौन अपराधों को रोकने के लिए एक रैली बिंदु बन सकता है। पीड़ित विरोध का प्रतीक बन जाता है या उसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में माना जाता है। हम इस तर्क से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं। क्या उस व्यक्ति को जो मर चुका है या जो अस्वस्थ दिमाग का है, एक प्रतीक बनने की अनुमति दी जानी चाहिए यदि ऐसा व्यक्ति स्वयं एक रैली बिंदु नहीं बनना चाहता है? हमारा यह भी विचार है कि यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि

जनमत और भावना को जगाने के लिए पीड़ित की पहचान का खुलासा करें। यह जघन्य यौन अपराधों के पीड़ितों से निपटने वाला एक गंभीर मुद्दा है और इससे संवेदनशीलता के साथ निपटने की आवश्यकता है। इसके अलावा, हम सभी पूरी तरह से जानते हैं कि अपनी असली पहचान का खुलासा किए बिना 'निर्भया' देश में अब तक के विरोध का सबसे प्रभावी प्रतीक बन गई है। यदि ए.

पीड़ित के अधिकारों की रक्षा करने और जनमत जुटाने के लिए अभियान शुरू किया जाना चाहिए, ऐसा उसकी पहचान का खुलासा किए बिना किया जा सकता है।

18. हम यह भी जोड़ सकते हैं कि इस आधुनिक युग में जहां हमने उन मामलों से निपटा है जहां बेटियों का उनके पिता द्वारा बलात्कार किया गया है, जहां

बलात्कार के पीड़ितों विशेष रूप से नाबालिग पीड़ितों को अक्सर परिवार के सदस्यों या परिवार के दोस्तों द्वारा इस जघन्य अपराध के अधीन किया जाता है, यह अकल्पनीय नहीं है कि तथाकथित रिश्तेदार किसी मीडिया हाउस या प्रकाशन फर्म से पैसे लेने सहित बाहरी कारणों से हो सकता है जो एक पुस्तक प्रकाशित करना चाहता है, पीड़ित के नाम का खुलासा करता है। हम किसी भी तरह से माता-पिता की भूमिका पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम इस प्रकार के एक भी मामले की अनुमति नहीं दे सकते हैं और व्यापक हित में हम महसूस करते हैं कि, निश्चित रूप से, पीड़ित का नाम या उसकी पहचान सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना, रिश्तेदारों के प्राधिकरण के तहत भी प्रकट नहीं की जानी चाहिए।

19. भारत संघ की ओर से यह आग्रह किया गया है कि "निकट संबंधी" शब्दों को वही परिभाषा देनी होगी जो है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत विचार किया गया। हम नहीं चाहते।

इस विवाद में शामिल होने के लिए। जैसा कि हमने बताया है, कुछ मामलों में, रिश्तेदारों का हित पीड़ित के हित के समान नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक रिश्तेदार नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चे का "अगला दोस्त" हो सकता है, जो इस तरह के आवेदन को आगे बढ़ाने का हकदार हो सकता है। यह अदालत या सक्षम प्राधिकारी को तय करना होगा कि कौन है

“ अगला दोस्त "।

20. जैसा कि ऊपर बताया गया है, न तो केंद्र सरकार और न ही किसी राज्य सरकार ने ऐसी किसी कल्याणकारी संस्था या संस्था को मान्यता दी है। संगठन। आई. पी. सी. में क्या [2018] 14 एस. सी. आर. के बारे में कोई दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं।

ऐसे संगठन की प्रकृति क्या होगी और जिन व्यक्तियों को इसका अध्यक्ष या सचिव बनाया गया है, उनकी योग्यता क्या होगी?

संगठन। इन मामलों को अनिश्चित नहीं छोड़ा जा सकता है।

21. ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पीड़ित की पहचान, यदि उसका नाम नहीं है, तो उसका खुलासा करना पड़ सकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ एक मृत

पीड़ित की पहचान। यदि ऐसी कोई आवश्यकता उत्पन्न होनी चाहिए, तो हम निर्देश देते हैं कि पहचान के प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए आवेदन केवल संबंधित सत्र न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट को किया जाना चाहिए और उक्त सत्र न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट हमारे द्वारा निर्धारित कानून के आधार पर आवेदन पर निर्णय लेंगे। हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। इस संबंध में क्योंकि सरकार ने किसी सामाजिक या कल्याणकारी संस्थान/संगठन की पहचान नहीं की है और निर्धारित कानून को प्रशासित नहीं किया जा सकता है। हम निर्देश देते हैं कि अगर सरकार वास्तव में कार्रवाई करना चाहती है

आई. पी. सी. की धारा 228ए (2) (सी) के तहत, ऐसी समाज कल्याण संस्था या संगठन की पहचान करने से पहले उसे इस संबंध में कुछ नियम या स्पष्ट मानदंड स्पष्ट रूप से निर्धारित करने चाहिए। संगठन की प्रकृति क्या होनी चाहिए? आवेदन कैसे किया जाना चाहिए? उस आवेदन से किस तरह निपटा जाना चाहिए? . एक स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक हमारे निर्देश प्रबल रहेंगे। 22. जहां तक आई. पी. सी. की धारा 228ए की उप-धारा (3) का संबंध है, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि आई. पी. सी. में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी नहीं।

धारा 228ए के दायरे में आने वाली किसी भी कार्यवाही के संबंध में और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 (2) के संदर्भ में किसी भी मामले को छाप या प्रकाशित कर सकते हैं। ये कैमरे की कार्यवाही में हैं और पीठासीन अधिकारी, अदालत के कर्मचारी, आरोपी, उसके वकील, लोक अभियोजक, पीड़ित के अलावा कोई नहीं, अगर वह उपस्थित होना चाहती है या गवाह वहां होगा। यह सुनिश्चित करना उन सभी का परम कर्तव्य है कि अदालत में जो कुछ होता है उसका खुलासा बाहर न हो। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई रिपोर्टिंग नहीं हो सकती है

ऐसे मामले। प्रेस रिपोर्ट कर सकता है कि मामला अदालत के समक्ष तय किया गया था और कुछ गवाहों से पूछताछ की गई थी। यह किस उद्देश्य के लिए रिपोर्ट कर सकता है

मामला सूचीबद्ध था लेकिन यह रिपोर्ट नहीं कर सकता कि अदालत के अंदर क्या हुआ या पीड़ित या गवाहों का बयान क्या था।

सबूत निपुन सैक्सेना और ए. एन. आर.। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [दीपाक गुप्ता, जे।]

खुलासा नहीं किया जा सकता है। हम प्रेस में प्रकाशन के मुद्दे को अधिक विस्तार से नहीं बता रहे हैं क्योंकि यह मुद्दा निवेदिता झा के मामले 2 में हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है, लेकिन यह स्पष्ट है कि किसी को भी धारा 327 (3) सीआरपीसी का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसकी भाषा बहुत स्पष्ट और स्पष्ट है।

23. आई. पी. सी. की धारा 228 ए की उप-धारा (3) मुद्रण या

न्यायालय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के संबंध में किसी मामले का प्रकाशन एक अपराध है जब तक कि इसका प्रकाशन ऐसे न्यायालय की पूर्व अनुमति से नहीं किया जाता है।

24. इस अदालत ने दो दशक से अधिक समय पहले गुरमीत सिंह के मामले (ऊपर) में सावधानी बरती थी। इसमें पाया गया कि महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध बढ़ रहे हैं। इस अदालत ने माना कि यौन शोषण के पीड़ित या

हमले के दौरान बिना किसी संवेदनशीलता के इलाज किया गया था

जाँच और मुकदमा। अदालत ने आगे कहा कि कैमरे में बलात्कार के मामलों की सुनवाई नियम होना चाहिए और खुली सुनवाई एक अपवाद होना चाहिए। हालाँकि न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 228 ए का उल्लेख नहीं किया, लेकिन निम्नलिखित टिप्पणियां प्रासंगिक हैं:

अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ।
22. हाल ही में, अदालत में यौन उत्पीड़न की पीड़ितों के साथ उनके जिरह के दौरान किए गए व्यवहार की बहुत आलोचना हुई है। तथ्यों की प्रासंगिकता के संबंध में साक्षय अधिनियम के प्रावधान

इसके बावजूद, कुछ बचाव पक्ष के वकील अभियोजक से लगातार पूछताछ करने की रणनीति अपनाते हैं।

2 निवेदिता झा बनाम। बिहार राज्य, 2018 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 24978 [2018] 14 एस. सी. आर.

बलात्कार। पीड़ित को बार-बार विवरण दोहराना पड़ता है।

बलात्कार की घटना के बारे में इतना नहीं कि रिकॉर्ड पर तथ्यों को सामने लाया जाए या उसकी विश्वसनीयता का परीक्षण किया जाए, बल्कि उसके द्वारा दी गई घटनाओं की व्याख्या को मोड़ने का प्रयास करने की दृष्टि से विसंगतियों के लिए उसकी कहानी का परीक्षण किया जाए ताकि वे उसके आरोपों के साथ असंगत दिखाई दें। इसलिए, अदालत को मूक दर्शक के रूप में नहीं बैठना चाहिए, जबकि अपराध की पीड़ित से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की जा रही है। इसे अदालत में साक्षय की रिकॉर्डिंग को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना चाहिए। जबकि अभियुक्त को प्रतिपरीक्षा के माध्यम से अभियोजक की सत्यता और उसके बयान की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए हर अधिकार दिया जाना चाहिए, अदालत को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिपरीक्षा को उत्पीड़न या अपराध की पीड़ित को अपमानित करने का साधन नहीं बनाया गया है। यह याद रखना चाहिए कि बलात्कार की एक पीड़ित पहले ही एक दर्दनाक अनुभव से गुजर चुकी है और अगर उसे बार-बार दोहराया जाता है, तो अपरिचित परिवेश में उसे क्या हुआ था जिसके अधीन किया जाता है, वह बहुत शर्मिंदा हो सकती है और यहां तक कि बोलने के लिए घबरा या भ्रमित हो सकती है और उसकी खामोशी या एक भ्रमित आवारा वाक्य को गलत तरीके से उसके साक्षय में "विसंगतियों और विरोधाभासों" के रूप में व्याख्या की जा सकती है।

धारा 327 सी. आर. पी. सी. के साथ इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

24 ..... यह अपराध के पीड़ित को थोड़ा होने में सक्षम बनाएगा।

सहज और अधिक आसानी से प्रश्नों का उत्तर दें बहुत परिचित परिवेश। कैमरे में मुकदमा न केवल अपराध की पीड़ित के आत्म-सम्मान और विधायी इरादे के अनुरूप होगा, बल्कि अभियोजक के साक्षय की गुणवत्ता में भी सुधार होने की संभावना है क्योंकि वह खुले तौर पर गवाही देने में इतनी संकोच या संकोच नहीं करेगी जितनी कि वह एक खुली अदालत में, जनता की नज़रों में हो सकती है। उसके साक्षय की बेहतर गुणवत्ता अदालतों को सच्चाई तक पहुंचने और झूठ से सच्चाई का पता लगाने में मदद करेगी। अदालतों को, जहाँ तक संभव हो, यौन अपराध की पीड़ित को और अधिक शर्मिंदा होने से बचाने के लिए अपने आदेशों में अभियोजक के नाम का खुलासा करने से बचना चाहिए। द.

अपराध के पीड़ित की गुमनामी को यथासंभव बनाए रखा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, निचली अदालत ने

अपील के तहत अपने आदेश में बार-बार पीड़ित के नाम का उपयोग किया, जब वह उसे अभियोजक के रूप में संदर्भित कर सकता था। हमें इस पहलू पर और कुछ नहीं कहना है और उम्मीद है कि निचली अदालतें धारा 327 (2) और (3) के प्रावधानों का सहारा लेंगे।

निपुन सैक्सेना और ए. एन. आर. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [दीपाक गुप्ता, जे।]

उदारतापूर्वक सी. आर. पी. सी. बलात्कार के मामलों की सुनवाई कैमरे में करना नियम होना चाहिए

और ऐसे मामलों में एक खुला मुकदमा एक अपवाद है। 25. भूपिंदर शर्मा बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य 3 एक है।

पहले मामलों में जहां आई. पी. सी. की धारा 228ए के लिए विशिष्ट संदर्भ दिया गया था। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 2. हम पीड़ित का नाम उल्लेख करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 228-ए (संक्षेप में "आई. पी. सी".) कुछ अपराधों के पीड़ितों की पहचान के प्रकटीकरण को दंडनीय बनाती है। नाम या किसी भी मामले को छापना या प्रकाशित करना जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान को ज्ञात कर सके जिसके खिलाफ धारा 376,376-ए, 376-बी, 376-सी या 376-डी के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है या पाया गया है, उसे दंडित किया जा सकता है। यह सच है कि प्रतिबंध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के मुद्रण या प्रकाशन से संबंधित नहीं है। लेकिन पीड़ित के सामाजिक उत्पीड़न या बहिष्कार को रोकने के सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यौन अपराध जिसके लिए धारा 228-ए अधिनियमित की गई है, यह उचित होगा कि निर्णयों में, चाहे वह उच्च न्यायालय का हो या निचली अदालत का, पीड़ित का नाम इंगित नहीं किया जाना चाहिए। हमने फैसले में उसे "पीड़ित" के रूप में वर्णित करने का विकल्प चुना है।

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आई. पी. सी. की धारा 228ए के तहत लगाया गया प्रतिबंध धारा 228ए के स्पष्टीकरण के कारण उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के मुद्रण या प्रकाशन पर लागू नहीं होता है। तथापि, पीड़ितों के बहिष्करण को रोकने के सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि सभी न्यायालयों अर्थात निचली अदालतों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में पीड़ित का नाम इंगित नहीं किया जाना चाहिए। यह बड़ी संख्या में मामलों में दोहराया गया है और हमें सभी का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

26. अजू वर्गीज बनाम के मामले में केरल उच्च न्यायालय। केरल राज्य * निम्नानुसार आयोजित किया गया:

" 8. उच्चतम न्यायालय द्वारा बताए गए वैधानिक प्रावधान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस प्रावधान का उद्देश्य विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना था कि पीड़ित को इसके परिणामस्वरूप और अधिक पीड़ा न हो।

उसके प्रकटीकरण के अनुसार सामाजिक उत्पीड़न या बहिष्कार पहचान। यह स्पष्ट है कि, इसका उद्देश्य उसे इससे बचाना है

मनोवैज्ञानिक और सामाजिक यातना या मानसिक पीड़ा, जो

3 (2003) 8 एससीसी 551 4 करोड़। 2017 के एमसी No.5247 ने 27.09.2018 [2018] 14 एस. सी. आर. पर निर्णय लिया।

यौन हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का अनुसरण करें। समाज का कर्तव्य है कि वह यौन हिंसा के पीड़ितों का समर्थन करे और यह सुनिश्चित करे कि वे सामान्य स्थिति में वापस आएं और सामान्य जीवन जीना शुरू करें। पीड़ितों

इस तरह की हिंसा को गोपनीयता के उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है और अनावश्यक सार्वजनिक टिप्पणियों के खिलाफ संरक्षित किया जा सकता है। निश्चित रूप से, यह एक स्वीकृत सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करता है और

इसमें जनहित का एक तत्व शामिल है। धारा इतनी स्पष्ट, असंदिग्ध है और इसके उल्लंघन का परिणाम अपरिहार्य है और यह सवाल कि क्या प्रकटीकरण का उद्देश्य वास्तविक था या कानून की जानकारी के बिना प्रासंगिकता नहीं है। इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 228ए का प्रावधान जो किसी आरोपी द्वारा नाम के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करता है, पूर्ण है और इसे कम नहीं किया जा सकता है।

27. इस पहलू से अलग होने से पहले, हम एक ऐसी स्थिति से निपटना चाहेंगे जिसकी परिकल्पना कानून निर्माताओं ने नहीं की थी। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं,

आई. पी. सी. की धारा 228ए पीड़ित के नाम या पहचान का खुलासा करने पर एक स्पष्ट प्रतिबंध लगाती है। यदि आरोपी को बरी कर दिया जाता है और अपराध की पीड़ित धारा 372 सीआरपीसी के तहत अपील दायर करना चाहती है तो क्या होगा? क्या वह अपील के ज्ञापन में अपने नाम का खुलासा करने के लिए बाध्य है? हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि ऐसी पीड़ित अदालत में एक आवेदन दायर कर सकती है जिसमें प्रार्थना की जा सकती है कि उसे छद्म नाम के तहत याचिका दायर करने की अनुमति दी जा सकती है। एक्स 'या' वाई 'या ऐसी कोई अन्य कोडित पहचान जिसे वह चुन सकती है। हालाँकि, उसे कोई अन्य नाम देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुँचा सकता है। हो सकता है

कुछ दस्तावेज जिनमें उसके नाम का खुलासा करना होगा; उदाहरण के लिए,

अधिवक्ता की शक्ति और शपथ पत्र जिन्हें न्यायालय के नियमों के अनुसार दाखिल करना पड़ सकता है। न्यायालय को आम तौर पर ऐसे आवेदक को छद्म नाम से याचिका/अपील दायर करने की अनुमति देनी चाहिए। जहां कोई पीड़ित अपील दायर करता है, हम निर्देश देते हैं कि ऐसी पीड़ित पीड़ित के नाम का खुलासा न करने के लिए आवेदन के साथ अपना नाम 'एक्स' या 'वाई' दिखाकर ऐसी अपील दायर कर सकती है। अपील के साथ दायर किए जाने वाले सीलबंद लिफाफे में वह दस्तावेज़ संलग्न कर सकती है, जिसमें वह अपीलीय न्यायालय के नियमों के अनुसार अपनी पहचान प्रकट कर सकती है। न्यायालय विवरणों को सत्यापित कर सकता है लेकिन सार्वजनिक डोमेन में रखी गई सामग्री में पीड़ित के नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा। इस तरह के आवेदन की सुनवाई न्यायालय द्वारा कक्षों में की जानी चाहिए और जब तक इस तरह का मामला तय नहीं हो जाता, तब तक इसका नाम कारण-सूची में भी नहीं होना

चाहिए। पीड़ित के नाम और पहचान का खुलासा करने वाले कोई भी दस्तावेज सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं होने चाहिए।

निपुन सैक्सेना और ए. एन. आर. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [दीपाक गुप्ता, जे।]

दूसरा भाग

28. निर्णय के इस भाग में हम उन मुद्दों पर विचार करेंगे जो

पॉक्सो के दायरे में आने वाले पीड़ित के नाम और पहचान का खुलासा न करने से संबंधित है। शुरुआत में, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि वयस्क पीड़ितों से संबंधित निर्णय के पहले भाग में हमने जो कारण दिए हैं, वे नाबालिग पीड़ितों पर और भी अधिक बल के साथ लागू होते हैं।

29. यौन शोषण का शिकार होने वाली नाबालिग को संरक्षित करने की आवश्यकता है।

एक प्रमुख पीड़ित से भी अधिक क्योंकि एक प्रमुख पीड़ित एक वयस्क होने के नाते अभी भी समाज द्वारा किए गए सामाजिक बहिष्कार और मानसिक उत्पीड़न का सामना करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन एक नाबालिग पीड़ित को ऐसा करना मुश्किल होगा। नाबालिग पीड़ितों के खिलाफ अधिकांश अपराधों की सूचना भी बहुत बार नहीं दी जाती है, अपराध का अपराधी पीड़ित के परिवार का सदस्य या एक करीबी दोस्त होता है। अपराध को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब यह माना जाता है कि एक बच्चे को अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है। भारत ने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1989 पर हस्ताक्षर किए हैं और संसद ने वर्ष 2012 में पॉक्सो को लागू करना उचित समझा, जो विशेष रूप से सभी बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित है। यह अधिनियम लैंगिक रूप से तटस्थ है और हम इस भाग में जो कुछ भी कहेंगे वह सभी बच्चों पर लागू होगा।

30. पॉक्सो का अध्याय VI संबंधित प्रक्रिया से संबंधित है -

एक बच्चे का बयान दर्ज करना। धारा 24 पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान से संबंधित है। हमारे उद्देश्य के लिए धारा 24 की उप-धारा (5) प्रासंगिक है जो इस प्रकार है:

" धारा 24-एक बच्चे के बयान की रिकॉर्डिंग।

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

(5) पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे की पहचान

सार्वजनिक मीडिया से संरक्षित, जब तक कि अन्यथा द्वारा निर्देशित न हो

बच्चे के हित में विशेष न्यायालय "। धारा 25 पॉक्सो में कहा गया है कि बच्चे के बयान दर्ज किए गए हैं

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत, जो एक वकील को उपस्थित होने की अनुमति देती है, बच्चों के मामले में लागू नहीं होगी। पॉक्सो के तहत मुकदमे विशेष अदालत द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिसके बाल अनुकूल होने की उम्मीद है और विशेष रूप से यह प्रावधान है कि विशेष अदालत बच्चे से आक्रामक पूछताछ या चरित्र हनन की अनुमति नहीं देगी। धारा 33 की उप-धारा (7) जो प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" धारा 33-विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियाँ।

XXX

XXX

XXX

जाँच के दौरान किसी भी समय खुलासा नहीं किया गया या मुकदमा:

बशर्ते कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, विशेष

अदालत इस तरह के प्रकटीकरण की अनुमति दे सकती है, अगर उसकी राय में ऐसा प्रकटीकरण

यह बच्चे के हित में है। स्पष्टीकरण। - इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए,

बच्चे में बच्चे के परिवार, स्कूल की पहचान शामिल होगी।

रिश्तेदार, पड़ोस या कोई अन्य जानकारी जिसके द्वारा बच्चे की पहचान का खुलासा किया जा सकता है।

धारा 37 में प्रावधान है कि पॉक्सो के तहत सभी मुकदमों को

कैमरे में आयोजित किया जाता है जब तक कि विशेष न्यायालय द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए विशेष रूप से निर्णय नहीं लिया जाता है। धारा 24 (5) और धारा 33 (7) को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जांच या मुकदमे के दौरान किसी भी समय बच्चे के नाम और पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए और बच्चे की पहचान जनता या मीडिया से सुरक्षित है। इसके अलावा, धारा 37 में प्रावधान है कि मुकदमा कैमरे में चलाया जाना है जिसका अर्थ है कि मीडिया उपस्थित नहीं हो सकता है। पॉक्सो का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे की पहचान का खुलासा तब तक न किया जाए जब तक कि विशेष न्यायालय लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से इस तरह के प्रकटीकरण की अनुमति न दे। यह खुलासा केवल तभी किया जा सकता है जब यह बच्चे के हित में हो और अन्यथा नहीं। ऐसा एक मामला जहां बच्चे की पहचान का खुलासा करना आवश्यक हो सकता है, वह हो सकता है जहां एक बच्चा पाया जाता है जिसे यौन अपराध के अधीन किया गया है और बच्चे की पहचान जांच दल द्वारा भी स्थापित नहीं की जा सकती है। ऐसे मामले में, जांच अधिकारी या विशेष न्यायालय पहचान स्थापित करने के लिए बच्चे की तस्वीर प्रकाशित करने की अनुमति दे सकता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पहचान

के प्रकटीकरण की अनुमति विशेष न्यायालय द्वारा केवल तभी दी जा सकती है जब यह बच्चे के हित में हो और किसी अन्य परिस्थिति में न हो। हमारा विचार है कि बच्चे को विरोध का प्रतीक बनाने के लिए बच्चे के नाम का खुलासा सामान्य रूप से नहीं किया जा सकता है।

बच्चे के हित में माना जाए।

31. विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह तर्क दिया गया है कि

बच्चे को परिभाषित नहीं किया गया है। हमारा विचार है कि यह न तो निपुन सैक्सेना और ए. एन. आर. है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [दीपाक गुप्ता, जे।]

यह संभव नहीं होगा और न ही यह स्पष्ट रूप से बताना उचित होगा कि "बच्चे के हित" वाक्यांश का अर्थ क्या है। हालाँकि, हमने यहाँ ऊपर कुछ उदाहरण दिए हैं और हम लोगों के हाथों को बांधना नहीं चाहते हैं।

विशेष न्यायालय, जिसे ऐसे मामलों से निपटना पड़ सकता है। प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यात्मक परिदृश्य में निपटाना होगा।

पॉक्सो की धारा 23 में ऐसे प्रावधान हैं जो

मीडिया के लिए प्रक्रिया। वह इस प्रकार है:

" धारा 23-मीडिया के लिए प्रक्रिया।

(1) कोई भी व्यक्ति पूर्ण और प्रामाणिक जानकारी के बिना किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटोग्राफिक सुविधाओं से किसी भी बच्चे पर कोई रिपोर्ट या टिप्पणी प्रस्तुत नहीं करेगा, जिसका प्रभाव उसकी प्रतिष्ठा को कम करने या उसकी छवि का उल्लंघन करने पर पड़ सकता है।

गोपनीयता।

बशर्ते कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय इस तरह के प्रकटीकरण की अनुमति दे सकता है, अगर उसकी राय में ऐसा प्रकटीकरण बच्चे के हित में है।
(3) मीडिया या स्टूडियो या फोटोग्राफिक सुविधाओं का प्रकाशक या मालिक इन कृत्यों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होगा और

अपने कर्मचारी की चूक।

(4) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित होने के लिए उत्तरदायी होगा जो छह महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जो एक वर्ष तक बढ़ सकती है या जुर्माने या जुर्माने के साथ।

दोनों "।

धारा 23 की उप-धारा (1) किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में किसी भी बच्चे पर कोई रिपोर्ट दर्ज करने या कोई टिप्पणी करने से रोकती है, चाहे वह लिखित हो,

पूर्ण और प्रामाणिक जानकारी के बिना फोटोग्राफिक या ग्राफिक। कोई भी व्यक्ति या मीडिया ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है जिसका बच्चे की प्रतिष्ठा को कम करने या उसका उल्लंघन करने का प्रभाव हो। बच्चे की गोपनीयता। धारा 23 की उप-धारा (2) स्पष्ट रूप से [2018] 14 एस. सी. आर. निर्धारित करती है।

कि किसी भी मीडिया में कोई भी रिपोर्ट बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं करेगी जिसमें नाम, पता, तस्वीर, परिवार का विवरण, स्कूल, पड़ोस या कोई अन्य विवरण शामिल है जिससे बच्चे की पहचान का खुलासा हो सकता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विधायिका का इरादा यह था कि बच्चे की पहचान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं की जानी चाहिए। वाक्यांश 'किसी भी अन्य विवरण' को सबसे व्यापक आयाम देना होगा और इसे केवल सामान्य रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है। विधायिका का इरादा यह है कि बच्चे की निजता और प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचे। इसलिए, कोई भी जानकारी जो बच्चे की पहचान का खुलासा कर सकती है, मीडिया द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती है। मीडिया को न केवल चौकस रहना है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए मीडिया पर एक कर्तव्य डाला गया है कि वह कुछ भी न करे और ऐसी कोई जानकारी न दे जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे की पहचान का खुलासा हो सके। 32. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मीडिया का कर्तव्य है कि वह किए गए प्रत्येक अपराध की रिपोर्ट करे। मीडिया नाम का खुलासा किए बिना ऐसा कर सकता है।

और बच्चों के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराधों के मामले में पीड़ित की पहचान। मीडिया के पास न केवल अधिकार है बल्कि सभी की रिपोर्ट करने का दायित्व भी है ऐसे मामले। हालांकि, मीडिया को सावधान रहना चाहिए कि इसे सनसनीखेज न बनाया जाए। मीडिया को पीड़ित से बात करने से बचना चाहिए क्योंकि

हर बार जब पीड़ित दुख की कहानी दोहराता है, तो पीड़ित फिर से उस आघात से गुजरता है जिससे वह गुजरा है। ऐसे मामलों की रिपोर्ट पीड़ितों, वयस्कों और बच्चों दोनों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील रूप से की जानी चाहिए। ऐसे मामलों को सनसनीखेज बनाना फायदेमंद हो सकता है

टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टी. आर. पी.) लेकिन मीडिया की विश्वसनीयता को कोई श्रेय नहीं देता है।

और पता लगाएँ कि बच्चा कौन है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों और महानगरों में शहर के नाम के प्रकटीकरण से बच्चे की पहचान का प्रकटीकरण नहीं हो सकता है, लेकिन इसके संबंध में कोई और विवरण नहीं हो सकता है। कॉलोनी और वह क्षेत्र जिसमें बच्चा रह रहा है या जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है (भले ही घर का नंबर नहीं दिया गया हो) बच्चे की पहचान को आसानी से खोजने के लिए पर्याप्त हैं। हमारे विचार में, मीडिया न केवल बच्चे की पहचान का खुलासा करने के लिए बाध्य है, बल्कि कानून द्वारा किसी भी ऐसी सामग्री का खुलासा नहीं करने के लिए अनिवार्य है जिससे बच्चे की पहचान का खुलासा हो सकता है। इसका कोई भी उल्लंघन धारा 23 (4) के तहत अपराध होगा।

34. विद्वान न्यायमित्र ने आग्रह किया कि प्रकाशन के उद्देश्यों के लिए बच्चे का अर्थ केवल एक जीवित बच्चा होना चाहिए। उसका तर्क यह प्रतीत होता है कि जब बच्चा मर जाता है तो बच्चे के नाम और पहचान का खुलासा किया जा सकता है। उनका निवेदन इस धारणा पर आधारित है कि यदि बच्चे के नाम और पहचान का खुलासा किया जाता है, तो जनता की भावना पैदा की जा सकती है और बच्चे को न्याय दिलाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया जा सकता है। उनके अनुसार, यदि मृतक पीड़ित बच्चे के नाम का खुलासा नहीं किया जाता है तो इस तरह का समर्थन प्राप्त करना मुश्किल है। हम इस निवेदन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। वही तर्क जो हमने पीड़ितों के लिए ऊपर दिया है, लागू होगा। मृत पीड़ितों को भी। मृत पीड़ितों के मामले में, हमें एक अन्य कारक से निपटना होगा। हमें इस महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटना होगा कि मृतकों की भी अपनी गरिमा है। उन्हें केवल इसलिए गरिमा से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे मर चुके हैं।

35. हालाँकि इस मामले में हम पीड़ितों के मामलों से निपट रहे हैं, लेकिन हम किशोर न्याय (देखभाल और बचाव) की धारा 74 का संदर्भ दे सकते हैं। बाल संरक्षण) अधिनियम, 2015, जो इस प्रकार है:

" धारा 74। पहचान के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध

बच्चे।

(1) किसी भी जांच के संबंध में किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार पत्र या दृश्य श्रव्य मीडिया या संचार के अन्य रूपों में कोई रिपोर्ट नहीं।

या जांच या न्यायिक प्रक्रिया, नाम, पता या स्कूल या किसी अन्य विशेष का खुलासा करेगी, जिससे कानून के साथ टकराव में किसी बच्चे या देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे या पीड़ित बच्चे या अपराध के गवाह की पहचान हो सकती है।

ऐसे मामले में, उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत,

और न ही ऐसे किसी बच्चे की तस्वीर प्रकाशित की जाएगी:

बशर्ते कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, जांच करने की अनुमति दे सकती है।

ऐसा प्रकटीकरण, यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटीकरण सर्वोत्तम हित में है

बच्चे से। (2) पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के उद्देश्य से या अन्यथा उन मामलों में बच्चे के किसी भी रिकॉर्ड का खुलासा नहीं करेगी जहां मामले को बंद कर दिया गया है या निपटाया गया है।

(3) उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति

छह महीने तक की अवधि के लिए कारावास या दो लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।

36. नाम, पता, स्कूल या अन्य विवरण जो हो सकता है

जो बच्चा कानून के साथ टकराव में नहीं है, लेकिन किसी अपराध, विशेष रूप से यौन अपराध का शिकार है, उसे इस सुरक्षा की और भी अधिक आवश्यकता है। 37. सुभाष चंद्र राय बनाम में सिक्किम उच्च न्यायालय। इस मुद्दे से निपटने के लिए सिक्किम राज्य 3 निम्नानुसार है:

" 27 ..... प्रावधान के अधिदेश को और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि न तो कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चे के लिए, या देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे के लिए, या एक पीड़ित बच्चे के लिए, या मामले में शामिल अपराध के गवाह के लिए, नाम, पता, स्कूल या अन्य विवरण जो बच्चे को जन्म दे सकते हैं। पता लगाया गया, पाया गया और पहचाना गया खुलासा किया जाएगा, जब तक कि पहले निकाले गए परंतुक में दिए गए कारणों के लिए नहीं। पुलिस और मीडिया के साथ-साथ न्यायपालिका को भी समान रूप से काम करना चाहिए।

ऐसे मामलों में संवेदनशील होना और यह सुनिश्चित करना कि कानून के आदेश का पत्र में पालन किया जाए।

पॉक्सो के प्रावधानों से निपटना और यह अभिनिर्धारित किया कि न तो इसके दौरान जाँच के दौरान या मुकदमे के दौरान पीड़ित के नाम का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य निर्देश भी दिए हैं कि कानून के प्रावधानों का अक्षरश: पालन किया जाए, और

पीड़ित बालकों के मौलिक अधिकारों और अन्य बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा की जाती है। हम इन सभी दिशाओं से सहमत हैं। हालाँकि इन दिशाओं में निपटाए गए कुछ मुद्दे इस मामले में सख्ती से नहीं उठते हैं, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम बच्चों के अधिकारों से निपट रहे हैं, हम कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को जोड़ रहे हैं।

इस निर्णय के अनुलग्नक-1 के रूप में न्यायालय। हम देश के सभी उच्च न्यायालयों की सभी किशोर न्याय समिति के सभी अध्यक्षों और सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले और उसमें जारी निर्देशों को देखें और वे प्रत्येक उच्च न्यायालय/राज्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसी तरह के निर्देश जारी कर सकते हैं।

$ 2018 सी. आर. आई. एल. जे. 3146 '2017 सी. आर. आई. एल. जे. 3893 निपुन सैक्सेना और ए. एन. आर.

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [दीपाक गुप्ता, जे।]

39. अलग होने से पहले हम बच्चों के अनुकूल अदालतों की आवश्यकता पर जोर देना चाहेंगे। पॉक्सो बच्चों के अनुकूल अदालतों की स्थापना को अनिवार्य करता है। हालांकि इस संबंध में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

40. अदालत में प्रवेश करने वाला कोई भी वादी अदालत के माहौल से भयभीत महसूस करता है। बच्चे और महिलाएं, विशेष रूप से जो यौन उत्पीड़न का शिकार हुए हैं, वे अदालतों के माहौल से लगभग अभिभूत हैं। वे डरे हुए हैं। वे इतने घबराए हुए हैं कि वे कभी-कभी अपराध की प्रकृति का सटीक वर्णन भी नहीं कर पाते हैं। जब शत्रुतापूर्ण और डराने-धमकाने वाले तरीके से उनकी जाँच की जाती है तो घबराहट बढ़ जाती है और सच्चाई सामने नहीं आती है।

41. इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे पास ऐसे न्यायालय हों जो बच्चों के अनुकूल हों। धारा 33 (4) पॉक्सो विशेष न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का आदेश देती है कि न्यायालय में बच्चों के अनुकूल वातावरण हो। धारा 36 में कहा गया है कि बच्चे को गवाही देते समय आरोपी को नहीं देखना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बच्चा अपराध के कथित अपराधी को देखकर डर न जाए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, परीक्षण किए जाने हैं कैमरा। इसलिए ऐसी अदालतों की आवश्यकता है जो विशेष रूप से बच्चों के अनुकूल हों और बाल पीड़ितों और कानून की जरूरतों को पूरा करें। 42. इन अदालतों का उपयोग न केवल पॉक्सो के तहत मामलों की सुनवाई के लिए किया जाना चाहिए, बल्कि महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वास्तव में, यह बच्चों और महिलाओं के हित में और न्याय के हित में होगा यदि देश के सभी जिलों में जल्द से जल्द वन स्टॉप सेंटर भी स्थापित किए जाएं। इन वन स्टॉप केंद्रों का उपयोग केंद्रीय पुलिस स्टेशन के रूप में किया जा सकता है जहां शहर/शहर में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ सभी अपराध दर्ज किए जाते हैं। उनके पास अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए जो यौन शोषण से गुजरने वाले बच्चों और महिलाओं की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हों। इन कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वे पीड़ितों से दयालु और संवेदनशील तरीके से बात करें। परामर्शदाताओं और मनोचिकित्सकों को भी इन केंद्रों पर कॉल पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि यदि आवश्यक हो तो पीड़ितों की परामर्श की जाए और कुछ मामलों में यह उचित होगा कि परामर्शदाता पीड़ितों से उस तरीके से पूछताछ करें जिसमें उन्हें ऐसे अपराधों के पीड़ितों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इन वन स्टॉप केंद्रों में पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं भी होनी चाहिए और पीड़ितों की चिकित्सा जांच केंद्र में ही की जा सकती है। इन वन स्टॉप केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए, जहां पीड़ितों का बयान [2018] 14 एस. सी. आर. के तहत अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।

धारा 164 सी. आर. पी. सी. को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग करके रिकॉर्ड किया जा सकता है और पीड़ितों को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने की आवश्यकता नहीं है। इन वन स्टॉप केंद्रों में अदालत कक्ष होने चाहिए जो हो सकते हैं

ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए उपयोग किया जाता है। जहाँ तक संभव हो ये केंद्र अदालत परिसर के भीतर नहीं होने चाहिए बल्कि अदालत परिसर के पास होने चाहिए ताकि वकीलों को भी असुविधा न हो। नतीजतन, इस तरह के अपराधों के पीड़ितों को कभी भी अदालत परिसर में नहीं जाना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ितों के अनुकूल मुकदमा चलेगा। ऐसा ही एक केंद्र जो पहले ही स्थापित किया जा चुका है, वह है हैदराबाद में "भारोसा"। इसका उपयोग देश में अन्य वन स्टॉप केंद्रों के लिए एक मॉडल के रूप में किया जा सकता है।

43. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित जारी करते हैं -

दिशा निर्देश:

कोई भी व्यक्ति प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल में प्रिंट या प्रकाशित नहीं कर सकता है।

1 .

मीडिया आदि पीड़ित का नाम या यहाँ तक कि दूरस्थ तरीके से किसी भी तथ्य का खुलासा करते हैं जिससे पीड़ित की पहचान की जा सकती है और जिससे उसकी पहचान के बारे में पता चल सके।

बड़े पैमाने पर सार्वजनिक।

ऐसे मामलों में जहां पीड़ित मर चुका है या अस्वस्थ दिमाग का है

2 .

पीड़ित का नाम या उसकी पहचान का खुलासा रिश्तेदार के प्राधिकरण के तहत भी नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उसकी पहचान के प्रकटीकरण को उचित ठहराने वाली परिस्थितियां मौजूद न हों, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की जाएंगी, जो

सत्र न्यायाधीश उपस्थित हैं।

धारा 376,376 ए, 376 एबी के तहत अपराधों से संबंधित प्राथमिकियां,

3 .

376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डीए, 376 डीबी या आईपीसी के 376 ई और पॉक्सो के तहत अपराधों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

4 .

यदि कोई पीड़ित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के तहत अपील दायर करता है, तो यह

पीड़ित के लिए अपनी पहचान का खुलासा करना आवश्यक नहीं है और अपील को निर्धारित तरीके से निपटाया जाएगा।

कानून द्वारा।

पुलिस अधिकारियों को उन सभी दस्तावेजों को रखना चाहिए जिनमें

5 .

जहाँ तक संभव हो, पीड़ित के नाम का खुलासा सीलबंद लिफाफे में किया जाता है और इन दस्तावेजों को समान रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है। जिन दस्तावेजों में पीड़ित का नाम सभी अभिलेखों में हटा दिया जाता है जिनकी सार्वजनिक रूप से जांच की जा सकती है।

निपुन सैक्सेना और ए. एन. आर. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [दीपाक गुप्ता, जे।]

6 .

वे सभी अधिकारी जिनके सामने पीड़ित के नाम का खुलासा किया जाता है जांच एजेंसी या अदालत द्वारा पीड़ित का नाम और पहचान गुप्त रखने और रिपोर्ट को छोड़कर किसी भी तरह से इसका खुलासा नहीं करने के लिए भी कर्तव्यबद्ध हैं, जिसे केवल जांच एजेंसी को सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए या

अदालत।

संबंधी द्वारा प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए एक आवेदन

7 .

मृत पीड़ित या अस्वस्थ मस्तिष्क के पीड़ित की पहचान

आई. पी. सी. की धारा 228ए (2) (सी) के तहत केवल संबंधित सत्र न्यायाधीश को तब तक भेजा जाना चाहिए जब तक कि सरकार कार्रवाई नहीं करती।

धारा 228ए (2) (सी) के तहत और ऐसे समाज कल्याण संस्थानों की पहचान करने के लिए हमारे निर्देशों के अनुसार एक मानदंड निर्धारित करता है।

या संगठन।

पॉक्सो के तहत नाबालिग पीड़ितों के मामले में, उनका खुलासा

8 .

प्रकटीकरण बच्चे के हित में है। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे

9 .

एक साल के भीतर हर जिले में कम से कम एक 'वन स्टॉप सेंटर'

आज से।

44. इस निर्णय की एक प्रति सभी के महापंजीयक को भेजी जाए।

उच्च न्यायालय ताकि इसे सभी उच्च न्यायालयों की किशोर न्याय समिति के अध्यक्षों के समक्ष उचित आदेश और निर्देश जारी करने के लिए रखा जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक जिले में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं।

45. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जहां तक उपरोक्त मुद्दों का संबंध है, हम इन याचिकाओं का निपटारा करते हैं।

संलग्नक-1

(बिजॉय के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश

वी. पश्चिम बंगाल राज्य, 2017 Cri.L.J.3893)

1. पुलिस अधिकारी या प्राप्त करने वाली विशेष किशोर पुलिस इकाई

अधिनियम के तहत अपराध करने या करने की संभावना के बारे में शिकायत तुरंत अधिनियम की धारा 19 के संदर्भ में दर्ज की जाएगी और बच्चे और/या उसके माता-पिता को मुफ्त में एक प्रति प्रस्तुत करेगी और बच्चे या उसके माता-पिता या किसी भी व्यक्ति को सूचित करेगी जिसमें बच्चे को कानूनी सहायता और प्रतिनिधित्व के अपने अधिकार पर भरोसा और विश्वास है और यदि बच्चा अपने कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने में असमर्थ है, तो [2018] 14 एस. सी. आर. का संदर्भ लें।

अधिनियम की धारा 40 के तहत आवश्यक कानूनी सहायता/प्रतिनिधित्व के लिए बच्चे को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को भेजा जाता है। पॉक्सो की धारा 4,6,7,10 और 12 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विफलता भारतीय दंड संहिता की धारा 166-बी के तहत दंडात्मक दायित्व को आकर्षित करेगी क्योंकि उपरोक्त अपराध संज्ञेय और/या हैं।

2. एफ. आई. आर. दर्ज होने पर पुलिस अधिकारी जब भी आवश्यक हो, बच्चे को तत्काल आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए तुरंत भेजेगा। और/या अधिनियम की धारा 27 के तहत चिकित्सा जांच के लिए और अधिनियम की धारा 25 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़ित का बयान दर्ज करना सुनिश्चित करें। इस स्थिति में, पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई की राय है कि बच्चा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 2 (डी) के तहत परिभाषित "देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे" की परिभाषा के अंतर्गत आता है, [जैसा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (एस. आई. सी.) द्वारा उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है] उक्त पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई बच्चे को तुरंत अधिकार क्षेत्र वाले बाल कल्याण को भेजेगी।

कानून के अनुसार बच्चे की देखभाल, सुरक्षा, उपचार और पुनर्वास प्रदान करने के लिए समिति। 3. जब भी विशेष न्यायालय को एफ. आई. आर. दर्ज करने की सूचना दी जाती है, तो विशेष न्यायालय जांच एजेंसी से उचित पूछताछ करेगा।

ऊपर (1) और (2) में उल्लिखित विधि की पूर्वोक्त आवश्यकताओं के अनुपालन के बारे में और यदि आवश्यक हो तो विधि के अनुसार उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करना। 4. विशेष किशोर पुलिस इकाई सहित मामले में पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी और जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि

कि जांच के दौरान पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं किया जाता है, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 24 के तहत पीड़ित का बयान दर्ज करते समय (जो जहां तक संभव हो, निवास या पसंद के स्थान पर किया जा सकता है), अधिनियम की धारा 25 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी जांच, धारा 19 (5) के तहत बच्चे को आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए अग्रेषित करना और/या अधिनियम की धारा 27 के तहत चिकित्सा जांच।

5. जाँच एजेंसी किसी भी मीडिया में पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि विशेष एन. आई. पी. यू. एन. सेक्सेना और ए. एन. आर. की स्पष्ट अनुमति के अलावा किसी भी तरह से ऐसी पहचान का खुलासा नहीं किया जाए।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [दीपाक गुप्ता, जे।]

न्याय के हित में न्यायालय। पुलिस अधिकारी सहित कोई भी व्यक्ति

कानून की उपरोक्त आवश्यकता का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा 23 (4) के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।

6. अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में मामले की सुनवाई कैमरे में की जाएगी और पीड़ित के साक्षय को तुरंत दर्ज किया जाएगा।

विशेष रूप से उसके चरित्र हनन के बारे में बच्चे से परेशान करने वाली पूछताछ जो ऐसी परीक्षा के दौरान बच्चे की गरिमा को खराब कर सकती है। उचित मामलों में, विशेष न्यायालय बचाव पक्ष को क्रॉस के दौरान हुई घटना से संबंधित अपने प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। न्यायालय और उत्तरार्द्ध को लिखित परीक्षा में ऐसे प्रश्न पीड़ित के सामने ऐसी भाषा में रखे जाएँगे जो पीड़ित के लिए समझने योग्य हो और सभ्य और गैर-आपत्तिजनक तरीके से।

7. घटना में, पीड़ित विदेश में है या किसी दूर के स्थान पर रह रहा है या पर्यवेक्षण परिस्थितियों के कारण शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है

साक्षय दर्ज करने के लिए अदालत, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसके साक्षय दर्ज करने के लिए सहारा लिया जाएगा।

8. पीड़ित की पहचान, विशेष रूप से उसका नाम, माता-पिता,

पता या कोई अन्य विवरण जो ऐसी पहचान प्रकट कर सकता है, विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में तब तक प्रकट नहीं किया जाएगा जब तक कि पहचान का ऐसा खुलासा बच्चे के हित में न हो।

9. एफ. आई. आर. दर्ज करके अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के होने की जानकारी प्राप्त होने पर विशेष न्यायालय अपने दम पर या पीड़ित के आवेदन पर राहत या पुनर्वास के लिए बच्चे की तत्काल जरूरतों के बारे में पूछताछ करें और अवसर देने पर

पीड़ित सहित राज्य और अन्य प्रभावित पक्षों को सुनवाई करते हुए बच्चे के अंतरिम मुआवजे और/या पुनर्वास के लिए उचित आदेश पारित करें। कार्यवाही के समापन में, चाहे आरोपी दोषी ठहराया गया हो या नहीं, या ऐसे मामलों में जहां आरोपी का पता नहीं चला है या वह फरार हो गया है, विशेष अदालत को यह संतुष्ट करते हुए कि पीड़ित को नुकसान हुआ था या

अपराध के कारण हुई चोट पीड़ित के पक्ष में न्यायसंगत और उचित मुआवजा प्रदान करेगी। मुआवजे की राशि [2018] 14 एस. सी. आर.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों या जिला सेवा प्राधिकरण, जिनके हाथों में निधि सौंपी गई है, के माध्यम से कुछ समय के लिए लागू कानून। यदि न्यायालय तत्काल अंतरिम या अंतिम मुआवजा पारित करने से इनकार कर देता है मामला ऐसा न करने के अपने कारणों को दर्ज करेगा। इस प्रकार भुगतान किए गए अंतरिम मुआवजे को अधिनियम की धारा 33 (8) के संदर्भ में मुकदमे के समापन में विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए अंतिम मुआवजे, यदि कोई हो, के साथ समायोजित किया जाएगा।

10. विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित मामलों में मुकदमा चलाया जाए।

पॉक्सो अनुचित रूप से लंबा नहीं है और अधिनियम की धारा 35 (2) के संदर्भ में पक्षों को अनुचित स्थगन दिए बिना अपराध का संज्ञान लेने के एक साल के भीतर यथासंभव तेजी से मुकदमे को समाप्त करने के लिए सभी उपाय करेगा।

याचिक

ाओं का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे